

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक -3/पी. एम. सी./ (प्र०स्वी)-06-2015 / / राँची / दिनांक.....

प्रेषक:

ई० राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि०)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिन्, राँची

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय:- याँत्रिक प्रमंडल, मंडल, लातेहार (शिविर मेदिनीनगर) अन्तर्गत रामघाट, कबलदाग, घाघरी, पीरी, सोनरे एवं हरही वीयर योजना के विभिन्न गेटों एवं उत्तोलन प्रणाली के सामान्य रखरखाव हेतु ₹4.87 लाख (रू० चार लाख सतासी हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. याँत्रिक प्रमंडल, मंडल, लातेहार (शिविर मेदिनीनगर) अन्तर्गत रामघाट, कबलदाग, घाघरी, पीरी, सोनरे एवं हरही वीयर योजना के विभिन्न गेटों एवं उत्तोलन प्रणाली के सामान्य रखरखाव हेतु ₹4.87 लाख (रू० चार लाख सतासी हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. याँत्रिक प्रमंडल, मंडल, लातेहार (शिविर मेदिनीनगर) अन्तर्गत रामघाट, कबलदाग, घाघरी, पीरी, सोनरे एवं हरही वीयर योजना के विभिन्न गेटों एवं उत्तोलन प्रणाली के सामान्य मरम्मत एवं रखरखाव कराया जाना है।
3. इसके अन्तर्गत योजना के गेटों एवं उसके पार्ट्स की पेंटिंग, ग्रीसींग, रबर सील एवं अन्य साधारण मरम्मत का कार्य कराया जाना है।
4. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, याँत्रिक प्रमंडल, मंडल, लातेहार (शिविर मेदिनीनगर) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता (याँत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
5. इस कार्य पर होने वाला व्यय :-
4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. इस कार्य का समावेश वर्ष 2017-18, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।
7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।
8. राशि की निकासी लातेहार कोषागार से की जायेगी।
9. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।



10. इन कार्यो को वर्ष 2017-18 में प्रारम्भ कर एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
11. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
12. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।
13. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुर्नस्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
14. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
15. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
17. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./ (प्र०स्वी)-06-2015 / / राँची / दिनांक.....

प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./ (प्र०स्वी)-06-2015 / / राँची / दिनांक.....

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, लातेहार, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./ (प्र०स्वी)-06-2015 / / राँची / दिनांक.....

प्रतिलिपि: सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, राँची/मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, मंडल/लातेहार शिविर मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-1/2/3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./ (प्र०स्वी)-06-2015 / / राँची / दिनांक.....

प्रतिलिपि: आयुक्त, पलामू प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./ (प्र०स्वी)-06-2015 / / राँची / दिनांक.....

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./ (प्र०स्वी)-06-2015 / ^{68/17-1 8 ज. स्वी:} / राँची / दिनांक ^{21.12.2017}.....

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।

^{21/12/2017}

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

^{21/12/17}